

(बन्धुवा काविले करोक्त)

सम्मन वास्ते कारारवाद उम्रुर तनकही तलब

(आदृ कापा । च ५)

निला  
वादी

न्यायालय  
मुकद्दमा

निला  
वादी

न्यायालय  
मुकद्दमा

सम्मन वास्ते कारारवाद उम्रुर तनकही तलब  
(आदृ कापा । च ५)

निला  
वादी

निला काविले करोक्त  
के आपके नाम एक नलिश बाबत

हरणाह

के दायरे की है, कि लिहाजा आपको हुकम होता है कि आप बतारीख माह सन् २०० ई० बववत बजे दिन के असाधलन या मार्फत वकील के जो मुकद्दमे के हलात से करार चकाई वाकिफ किया गया हो और कुल उम्रुरत अहम मुत्तलिका मुकद्दमा का जवाब दे सके, या जिसके साथ कोई और शब्दस हो जो जवाब ऐसे स्वालात का दे सके, हाजिर हो और जवाबदेही दावा कि और हरणाह यह तारीख जो आपके इजहासो के लिए मुकर्रे है वास्ते इन्फिलाल कराई मुकद्दमे को तजबीच हुई है, वस आपको लांजिम है कि उसी रोज आपने जुमला गवाहों को जिसकी शहादत पर नाज तमाम दस्तावेजो को जिन पर आप अपनी जवाबदेही को ताईट मे इस्तेमाल करना चाहते हों। पेश करे बरोज मजक्कर आप हाजिर न होने। तो मुकद्दमा बगैर हाजिरी आपके ममम्हुँ और फैसला होगा।

दस्तब्द मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज तारीख।  
माह सन् २०० ई० जारी किया गया।

डृष्टिलाला

नाम	अदालत
नम्बर	मुकद्दमा
फैसले नाम	जैन

इत्तिलाला

नाम	अदालत
मुकद्दमा	नम्बर
फैसले नाम	जैन

माह सन् २०० ई० जारी किया गया।

(३) अगर आपको यह अन्देशा हो आपके गवाह अपनी मर्जी से हाजिर न होगे तो वो अदालत हाजा से सम्पन नई मुराद जारी करा सकते है कि जो गवाह हाजिर न हो वह जबरन हाजिर कराये जाये और दस्तावेज को किसी गवाह से पेश कराने का आपका इस्तेहाक रखते है वह उससे ऐश कराई जाये वज्रते अपना खर्च बर्खरी अदालत में दबिल करके इस अप को दरखास्त गुजराये।  
(२) अगर आप मुतालबा मुद्रई को तस्लोम करते है तो आपको लाजिम है कि रूपया खर्च नालिश करे ताकि कर्वाई इजराय डिगी को, जो आपकी जाद पर मात दोनों पर होए करना न पड़े।